न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./91/2022

भागचन्द पुत्र नारायन उम्र 60 साल जाति जाटव, निवासी ग्रांम भवनपुरा, तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–रहुआ उम्र 56 साल पुत्र चरनदास
2–शिवराम उम्र 46 साल पुत्र प्रहलाद
3–बन्टी उम्र 31 साल पुत्र रहुआ,
4–जगमोहन उम्र 27 साल पुत्र रहुआ
5–श्रीमरा उम्र 66 साल पुत्र श्रीराम
6–भूपेन्द्र उम्र 28 साल पुत्र शिवराम,
7–योगेश उम्र 28साल पुत्र शिवराम,
8–धर्मेन्द्र उम्र 21 साल पुत्र शिवराम,
9–सन्जू उम्र21 साल पुत्र भगवत

सभी जाति बाबाजी निवासीयान भवनपुरा तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रुपवास व मुकदमा भागचन्द वादी बनाम रहुआ आदि निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रकरण संख्या 8/2021

उपस्थितः–
1–श्री विकास शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री भूपत जैन, अभिभाषक अप्राथी0,

दिनांक 30.11.2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक वाद भागचन्द वादी बनाम रहुआ आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपवास में विचाराधीन है, जिसमें असल केस में प्रकरण साक्ष्य में चल रहा है, तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में बहस में चल रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पास आये कहने लगे कि तुम मुकदमों मे राजीनामा कर लो अन्यथा हम उपखण्ड अधिकारी रुपवास से अपना मनमाना फैसला करवा लेगें,

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

उपखण्ड अधिकारी मुकदमें में नजदीकी तारीख पेशी दे रहे है व कह रहे हैं कि मैं मुकदमें का फैसला कररुंगा, प्रार्थी ने तारीख पेशी दिनांक को तारीख चाही गई तो उन्होने दिनांक 17.8.2022 यह कह कर दी कि अब वह उक्त तारीख को फैसला करके रहेगें, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रुपवास के इस कृत्य से प्रार्थी को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी रुपवास अप्रार्थीगण से मिल गये हैं, एस. डी.ओ.रुपवास से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, एस.डी.ओ. रुपवास न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.ओ. रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि उसके प्रार्थना पत्र अंकित कथन ही उसकी बहस शुगार की जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का भी कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत जबाब में अंकित कथनों को ही बहस में शुमार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जबाब में अंकित तथ्यों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मनगढ़त आरोप लगाये हैं , प्रार्थी ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का मकसद केवल तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जावे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर